पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2019 ई0 (कार्तिक 18, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–45

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	681–683	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1123–1132	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	203–210	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

अधिसूचना

विज्ञप्ति

04 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 2053/VII–1/2019/46ख/17–उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार कुल 148 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु विज्ञापित किया गया था, को अधिसूचना/विज्ञप्ति संख्या–1259/VII–1/2019/46ख/17, दिनांक 18.07.2019 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–24 के अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस लिया गया था। उक्त अधिसूचना/विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2019 की तालिका में वर्णित उपखनिज लॉट "जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम बोहरागाँव, तह0 रानीखेत, क्षेत्रफल 1.6 हे0, खसरा सं0 714म, मात्रा 45600 टन" को विलोपित समझा जाय।

2. उक्त अधिसूचना/विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

25 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 2291/X–1–2019–04(06)/2014–प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के पत्रांक–क–424/1–3(3), दिनांक 16.09.2019 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में श्री सी0 पी0 शर्मा, उप निदेशक, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2. उक्त अधिकारी अपने नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

पशुपालन अनुभाग–01

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 1002/XV-I/19/7(14)/2005–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 की धारा–33 के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड राज्य में गो हत्या अथवा गो हत्या की आशंका के आपराधिक प्रकरणों में गो ऊतकों (मांस, रक्त, अस्थि, बाल, त्वचा अथवा अन्य गो ऊतक) के विधि विज्ञान परीक्षण हेतु Veterinary Council Act, 1994 की धारा–30(d), Indian Evidence Act, 1872 की धारा–45 तथा CRPC की धारा–293 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के नियंत्रणाधीन पशुलोक, ऋषिकेश स्थित प्रयोगशाला को अधिसूचित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 759/2019/02(100)/XXVII(8)/2018–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 3029/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0 अनु0/रा0क0/2019–20/दे0दू0, दिनांक 16.09.2019 के क्रम में श्री नर सिंह दताल, अपर आयुक्त (से0नि0) के दायित्व को राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्न अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री राकेश टण्डन, अपर आयुक्त, राज्य कर	अपर आयुक्त, राज्य कर, हरिद्वार जोन, हरिद्वार	अपर आयुक्त, राज्य कर, देहरादून जोन, देहरादून

2. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे।

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 833/2019/10(100)/XXVII(8)/2016–श्री पीयूष कुमार, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के कैलेण्डर वर्ष 2019 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त होने वाले पद का प्रभार श्री बी0 बी0 मठपाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अतिरिक्त प्रभार के रूप में, अग्रिम आदेशों तक प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

02. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे।

आज्ञा से,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–6

कार्यालय ज्ञाप

23 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 851/बीस–6/2019–01(08)2007–गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–799/बीस–6/2019–01(08)2007, दिनांक 24.09.2019 द्वारा अभियोजन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की तैनाती आदेश दिनांक 24.09.2019 के क्रमांक–19 पर अंकित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त राठौर की तैनाती जनपद उत्तरकाशी से निरस्त करते हुए, जनपद ऊधमसिंह नगर में किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री विक्रान्त राठौर, सहायक अभियोजन अधिकारी अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

सुनील श्री पांथरी,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/537–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2019 ई0 (कार्तिक 18, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 15, 2019

No. 249/XIV-87/Admin.A/2003–Smt. Shadab Bano, Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10.10.2019 (one day only) with permission to prefix 02.10.2019 to 09.10.2019 as Gandhi Jayanti and Dussehra holidays **for the purpose of LTC.**

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

October 15, 2019

No. 250/XIV/8/Admin.A/2008–Ms. Reena Negi, 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 17.09.2019 to 19.09.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 15, 2019

No. 251/UHC/Admin.A/2019–Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Senior Division), Rudraprayag is posted as Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, in the vacant court.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Senior Division), Rudraprayag.

NOTIFICATION

October 15, 2019

No. 252/UHC/Admin.A/2019–Sri Mukesh Chandra Arya, Chief Judicial Magistrate, Nainital is given additional charge of the Court of Civil Judge (Senior Division), Nainital.

The above order shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

NOTIFICATION

October 16, 2019

No. 253/XIV-a/37/Admin.A/2015–Sri Mithilesh Pandey, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 11 days *w.e.f.* 12.09.2019 to 22.09.2019.

NOTIFICATION

October 16, 2019

No. 254/XIV-a/29/Admin.A/2012–Ms. Vibha Yadav, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 09 days *w.e.f.* 07.09.2019 to 15.09.2019.

NOTIFICATION

October 17, 2019

No. 255/XIV-82/Admin.A/2003–Smt. Pritu Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 35 days *w.e.f.* 27.08.2019 to 30.09.2019.

NOTIFICATION

October 18, 2019

No. 256/XIV-a/53/Admin.A/2012–Sri Neeraj Kumar, Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 17.09.2019 to 26.09.2019.

NOTIFICATION

October 18, 2019

No. 257/XIV-a/26/Admin.A/2011–Ms. Akata Mishra, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned :

1.	Maternity leave for 180 days *w.e.f.* 05.12.2018 to 02.06.2019.
2.	Child Care leave for 120 days *w.e.f.* 03.06.2019 to 30.09.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 261/UHC/Admin.A/2019–In exercise of the powers conferred by Rule 27(ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant the Super time Scale of ₹ 70,290-1,540-76,450 to the following officers, after completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre, from the date mentioned against their names :

S. No.	Name of the Officer	Date of grant of Super-time scale
1.	Sri Vivek Bharti Sharma	03.12.2018
2.	Sri Ashish Naithani	03.12.2018
3.	Sri C. P. Bijalwan	03.12.2018
4.	Sri Sikand Kumar Tyagi	11.04.2019
5.	Sri Pradeep Pant	27.05.2019
6.	Sri Hira Singh Bonal	01.08.2019

By Order of the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 264/UHC/Admin.A/2019–Smt. Sujata Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court.

She will continue as Special Judge (CBI) as designated *vide* notification no. 1425/XX-3-2017-05(17)2013, dated 26.04.2018.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 265/UHC/Admin.A/2019–Sri Shrikant Pandey, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Smt. Sujata Singh.

He will continue to try the cases dealing with challans filed by the Vigilance CBCID and Police Department related to the cases filed under Section (3) of P.C. Act, 1988 for Garhwal Region) *vide* notification no. 508/XX-3-2019-05(17)2013, dated 05.07.2019.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 266/UHC/Admin.A/2019–Sri Shanker Raj, 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Shrikant Pandey.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 267/UHC/Admin.A/2019–Sri Gurubaksh Singh, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Shanker Raj.

He will continue to try the cases under U.P. Gangster Act and act as Chairman, Commercial Tax Tribunal *vide* notification, dated 20.04.2017 and 15.07.2019 respectively.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 268/UHC/Admin.A/2019–Sri Dharam Singh, 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Gurubaksh Singh.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 269/UHC/Admin.A/2019–Sri Subir Kumar, 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Dharam Singh.

He will continue as Special Judge NDPS Act in Dehradun, conferred *vide* notification no. 129(1)/XXXVI(1)2018-09 Bha. Sa./2001, dated 20.04.2018.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 270/UHC/Admin.A/2019–Sri Dharmendra Singh Adhikari, Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is repatriated and posted as Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital *vice* Sri Kaushal Kishore Shukla.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 271/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 264/XXX(4)/2019-04(1)/2018, dated 09.09.2019, Ms. Meena Deopa, Chief Judicial Magistrate, Hardwar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 272/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 264/XXX(4)/2019-04(1)/2018, dated 09.09.2019, Ms. Rajani Shukla, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar in the vacant Court.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 273/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 264/XXX(4)/2019-04(1)/2018, dated 09.09.2019, Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Karnprayag, District Chamoli in the vacant Court.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 274/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 389/XXX(4)/2019-04(1)/2018-T.C., dated 15.10.2019, Sri Ashwini Gaur, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 275/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 264/XXX(4)/2019-04(1)/2018, dated 09.09.2019, Ms. Kusum, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is promoted to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 276/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 389/XXX(4)/2019-04(1)/2018-T.C., dated 15.10.2019, Sri Vikram, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 277/UHC/Admin.A/2019–Pursuant to Government Notification No. 389/XXX(4)/2019-04(1)/2018-T.C., dated 15.10.2019, Ms. Anjali Noliyal, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 5th ADJ, Hardwar in the vacant Court.

Note : (a) Recommendation is being sent to the Government for posting of Ms. Kusum, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar (now promoted to HJS Cadre) for posting as Judge, Family Court, Almora.

Note : (b) The above orders shall come into force *w.e.f.* 01.11.2019.

By Order of the Court,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 278/UHC/Admin.A/2019–Sri Arun Vohra, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is posted as Chief Judicial Magistrate, Hardwar *vice* Ms. Meena Deopa.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 279/UHC/Admin.A/2019–Sri Dhirendra Bhatt, Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar posted as Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar *vice* Ms. Kusum.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 280/UHC/Admin.A/2019–Sri Jayendra Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar *vice* Ms. Rajani Shukla.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 281/UHC/Admin.A/2019–Sri Ravi Prakash, Secretary, District Legal Services Authority, Chamoli is repatriated, transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal *vice* Sri Sudhir Kumar Singh.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 282/UHC/Admin.A/2019–Sri Rajeev Dhawan, Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Chamoli *vice* Sri Akhilesh Kumar Pandey.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 283/UHC/Admin.A/2019–Ms. Chhavi Bansal, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar *vice* Sri Dhirendra Bhatt.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 284/UHC/Admin.A/2019–Sri Akhilesh Kumar Pandey, Chief Judicial Magistrate, Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli *vice* Sri Rajeev Dhawan.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 285/UHC/Admin.A/2019–Sri Sachin Kumar Pathak an Officer of Civil Judge (Sr. Div.), Cadre, who is presently attached at headquarter Rudraprayag is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 286/UHC/Admin.A/2019–Sri Rajesh Kumar, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital *vice* Smt. Geeta Chauhan.

NOTIFICATION

October 22, 2019

No. 287/UHC/Admin.A/2019–Sri Shalendra Kumar Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Dhari, District Nainital is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital in the vacant Court with direction to hold camp Court at Dhari for 03 days in a month.

Note : (a) Recommendation is being sent to the State Legal Services Authority, Nainital for the posting of Sri Sudhir Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal as Secretary, District Legal Services Authority, Chamoli

Note : (b) The above orders shall come into force *w.e.f.* 01.11.2019.

By Order of the Court,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

17 अक्टूबर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4400/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti./2019–20/देहरादून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4387 एवं विज्ञप्ति संख्या 4386, समदिनांकित 16 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा माह अक्टूबर, 2019 से माह मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररुप जी0एस0टी0आर0 3ख में ऐसे माह के पश्चात्वर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व दाखिल किया जाना तथा कर निर्धारण कार्य में संलग्न अधिकारियों के क्षेत्राधिकार हेतु भौद्रिक सीमा निर्धारित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना एवं विज्ञप्ति की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 4387 / सी0एस0टी0यू0के0 / जी0एस0टी0–विधि / 2019–20 / CT–44–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम–61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त नियम के प्ररुप जीएसटीआर–3ख में ऐसे माह के पश्चात्वर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व दाखिल किया जाना विनिर्दिष्ट करती हूँ।

2. प्ररुप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय–उक्त नियम के प्ररुप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का उन्मोचन, प्रथम पैरा में यथाउल्लिखित अन्तिम तारीख, जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, के अपश्चात् यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही से विकलित करके करेगा।

सौजन्या,
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

October 16, 2019

No. 4387/CSTUK/GST-Vidhi Section/2019-20/CT-44–In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**–Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

SOWJANYA,
Commissioner, State Tax,
Uttarakhand.

कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल

भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)

15 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 484/आठ–भू0अ0(2018–19) पौड़ी–परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड राज्य में 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन निर्माण।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के निर्माण के लिए पौड़ी जिले के अन्तर्गत ग्राम चिलगढ़ मल्ला की 2.522 हे0 निजी नाप भूमि का अर्जन "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन" में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया गया है।

ग्राम चिलगढ़ मल्ला में पूर्व अर्जित क्षेत्रफल 2.522 हे0 के अतिरिक्त ग्राम चिलगढ़ मल्ला में रेलवे संरेखण के अन्तर्गत स्थित 0.030 हे0 अतिरिक्त निजी नाप भूमि का अनुपूरक भू–अर्जन प्रस्ताव रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित नाप भूमि (संरचना सहित या उसके बिना) जिसका अर्जन भारतीय रेल (भारत सरकार) के नाम पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन" में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया जाना है। जिसका संयुक्त निरीक्षण रेल विकास निगम लि0 के साथ किया गया का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचना	
						उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	55	संयुक्त	कृषि	0.030	रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री रामकृष्ण इत्यादि	34	89	54	78	–	–	–	–
–	9	–		0.030	–	–	–	–	–	–	–	–	–

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलक्टर के कार्यालय में और रेल विकास निगम, श्रीकोट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति, कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात्, क्रय–विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो स्वयं उपस्थित होकर या बजरिये अधिवक्ता के माध्यम से फाइल किए जा सकेंगे।

स्थान–पौड़ी।
दिनांक 15.10.2019

धीराज सिंह गर्ब्याल,
कलक्टर, गढ़वाल।

निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड

कार्यभार प्रमाण–पत्र

22 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 3438/ज.जा.क./कार्य0प्रभार0पत्रा0/2019–20–प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश सं0 368/XVII–1/2019–2अ(02)/2014, दिनांक 21.10.2019, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, के क्रम में, मैंने आज दिनांक 22.10.2019 के पूर्वान्ह में अपर निदेशक, निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मोचक अधिकारी

योगेन्द्र रावत,
अपर निदेशक।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 एवं पद (अस्पष्ट)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/537–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2019 ई0 (कार्तिक 18, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत नौगाँव, जनपद–उत्तरकाशी

16 अगस्त, 2019 ई0

पत्रांक–145/उपविधि/2019–20–नगर पंचायत, नौगाँव, उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–298(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128(1)(I) के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर/भवनकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, नौगाँव, उत्तरकाशी द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2018" बनायी गई है।

सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2018

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :

   (क) यह उपविधि नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2018" कहलायेगी।

   (ख) यह उपविधि नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी की सीमा में प्रवृत्त होगी।

   (ग) यह उपविधि नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

   किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस उपविधि में:–

   (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी से है।

   (ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी की सीमा से है।

   (ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी से है।

   (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव के निर्वाचित अध्यक्ष से है एवं प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य, प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत नौगाँव से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–140 व धारा–141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) "सम्पत्ति/भवनकर" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर, कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(ट) "स्वामी" का तात्पर्य, भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ठ) "अध्यासी" का तात्पर्य, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. वार्षिक मूल्यांकन–नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–141(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा:–

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन विनिर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैडूयल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गई धनराशि का 05 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया, भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किए जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फूट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी, जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किए जाएँ।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात), जो किराए पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा तत्समय किराए हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रंतिबन्ध यह है कि जहाँ नगरपालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

1. वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी:–

(i) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

2. उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का भानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3. सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4. भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर–भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 (दस) प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे:–

(क) मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं चर्च व धार्मिक संस्थाएँ, जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होगा।

(ख) नगर पालिका की समस्त सम्पत्तियाँ।

5. कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन–भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गई सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति/भवनकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो, वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर, कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्डवार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6. आपत्तियों का निस्तारण–भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–112 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरान्त निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

(iii) शासनादेश सं0 2054/नौ–9–97–79ज/97, दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण, दिए गए निर्देशानुसार की जायेगी।

7. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा–(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगरपालिका कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये, वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवनकर माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशानुसार करनी होगी।

8. पंचवर्षीय भवनकर निर्धारण की औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात् सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि, भवनस्वामी/अध्यासी को पालिका कार्यालय अथवा निकाय द्वारा वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर, रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पत्ति कर/भवनकर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9. सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पत्ति/भवनकर के बकायेदारों पर लागू नहीं होगी।

10. कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की एसेसमेंट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो, उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11. जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकार, जिसकी बोर्ड ने उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 143–(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा, जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दें।

12. (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार, जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना, अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी, जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

13. (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति, जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गई हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गई है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई0 के अनुसार ली गई हो, पेश करेगा।

14. उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–151(1) से (5) तक दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत अनअध्यासन के कारण सम्पत्ति कर/भवनकर में तद्नुसार छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, नगर पंचायत नौगाँव–जनपद उत्तरकाशी एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड ₹ 1,000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो ₹ 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

कार्यालय नगर पंचायत नौगाँव, जनपद–उत्तरकाशी

16 अगस्त, 2019 ई0

विज्ञापन शुल्क उपनियम–2018

पत्रांक–148/उपविधि/2019–20

1. यह उपनियम, नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी, अश्लील तथा फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली, 2018 कहलायेगी।
2. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित किए गए सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिंग, साइनबोर्ड, दीवारों आदि पर पेन्ट में लिखे गये (वाल पेन्टिंग) या चौक से बनाये गये/लिखे गये विज्ञापनों से हैं।
3. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढाँचें से है। जो किसी भी मैटिरियल से बनाया गया हो।
4. कोई भी व्यक्ति, नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर, इमारत के किसी भाग पर या ढाँचें पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर–बैनर या होर्डिंग आदि, बिना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बगैर नहीं लगायेगा।
5. उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगा:–
   (अ) ऐसे विज्ञापन, जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु, स्थानीय विकास योजनाओं हेतु, शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये गये हो।
   (ब) ऐसे विज्ञापन या साइन बोर्ड, जो किसी स्थानीय व्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या अपने निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो।
   (स) इसके अतिक्ति किसी विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्रदान करना आवश्यक होगा।
6. किसी भी विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन की लिपिलेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी के कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की भाषा आदि की जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट करेगा कि विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बातें या समुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नहीं किया गया हैं। इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी, किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझे तो अनुमति दे या न दे अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर अध्यक्ष/प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा।
7. नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी, अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि उपविधि का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है और इसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करे अथवा विज्ञापन हटाने के एक माह के अन्दर होर्डिंग वापस करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो विज्ञापन हटाने के एक माह बाद होर्डिंग अथवा साइन बोर्ड नीलामी करवा सकते हैं।
8. सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को, जिस भूमि पर होर्डिंग आदि लगाये जाने है, एन0एच0/लो0नि0वि0 आदि की होने की दशा में उक्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
9. उपनियम के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिकों, प्रबन्धकों, एजेण्टों या उनके कारिन्दों, जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इस उपनियम का उल्लंघन करते हुए, लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा।

इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगा:–

1.	1 फुट×1 फुट से 6 फुट×6 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	300/– वार्षिक
2.	6 फुट×6 फुट से 12 फुट×12 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	500/– वार्षिक
3.	12 फुट×10 फुट से 20 फुट×10 फुट तक के साइज की होर्डिंग/बोर्ड	1000/– वार्षिक
4.	12 फुट×10 फुट से 40 फुट×10 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	2000/– वार्षिक
5.	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले 20 फुट×20 फुट साइज	2000/– वार्षिक
6.	दीवारों पर कि जाने वाली पेन्टिंग विज्ञापन प्रतिवर्ग मीटर	₹ 20 प्रतिमाह
7.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 2×2 फुट होर्डिंग/बोर्ड प्रति पोल	₹ 20 प्रतिमाह
8.	बैनर–कपड़े का–प्रति बैनर	₹ 20 प्रतिमाह
9.	लकड़ी/लोहे के पाइप से सार्वजनिक सड़क पर गेट प्रतिदिन बनाने/लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि से	₹ 250 प्रतिमाह
10.	अन्य विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड	₹ 200 प्रतिदिन
11.	बैलून/विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड	₹ 100 प्रतिदिन

10. विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी का कतिपय मामलों में नगर पंचायत के अन्तर्गत विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित कराये जाने का अधिकार होगा।

11. नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी का बोर्ड उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकता है। जिसके लिए फर्म/व्यक्ति/एजेण्ट से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा, शर्त का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि/अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।

12. नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तों एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करके, यदि कोई फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर/होर्डिंग अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कहीं पर लगा दिया जाता है। तो नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी उक्त विज्ञापन को हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप में विज्ञापन किराये का 05 (पाँच) गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा, दूसरी बार उक्त अपराध उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराये का 10 (दस) गुना शुल्क भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

कार्यालय नगर पंचायत नौगाँव, जनपद–उत्तरकाशी

व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपनियम–2018

16 अगस्त, 2019 ई0

पत्रांक–147/उपविधि/2019–20–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपनियम–2018 तैयार की गई है। जो व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपनियम–2018 कहलायेगी।

उक्त उपनियम निकाय की आय में वृद्धि एवं व्यवसायिक नियन्त्रण हेतु तैयार किया गया है। जो नगर पंचायत नौगाँव की सीमाक्षेत्र अन्तर्गत क्रियान्वित होगा एवं निम्न व्यवसायों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि हेतु लाइसेन्स शुल्क के रूप में निम्न सूची अनुसार निर्धारित एवं देय होगा:–

अनुसूची

क्र0 सं0	व्यवसाय विवरण	दर (प्रतिवर्ष)
1	2	3
1.	(क) होटल, खान–पान	₹ 400.00
	(ख) होटल, ढाबा	₹ 200.00
2.	रेस्टोरेंट–	
	(क) लॉज 01 से 10 बेड तक	₹ 400.00
	(ख) लॉज 01 से 20 बेड तक	₹ 800.00
	(ग) लॉज 01 से 40 बेड तक	₹ 1,200.00
3.	मिष्ठान भण्डार–	
	(क) चाय विक्रेता	₹ 100.00
	(ख) चाय, नमकीन विक्रेता	₹ 200.00
	(ग) चाय, मिष्ठान विक्रेता	₹ 300.00
4.	राशन विक्रेता–	
	(क) राशन विक्रेता/जनरल स्टोर	₹ 300.00
	(ख) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	₹ 300.00
5.	कपड़ा विक्रेता–	
	(क) क्लॉथ इम्पोरियम	₹ 300.00
	(ख) रेडिमेट जनरल स्टोर	₹ 300.00
	(ग) कपड़ा विक्रेता, बर्तन एवं अन्य सामग्री विक्रेता	₹ 300.00
6.	बर्तन विक्रेता	₹ 300.00
7.	इलेक्ट्रॉनिक सम्बन्धी विक्रेता–	
	(क) टी0वी0, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, गीजर आदि विक्रेता, मरम्मतकर्ता	₹ 500.00
	(ख) मोबाइल आदि विक्रेता	₹ 300.00
	(ग) विद्युत सामग्री विक्रेता	₹ 300.00
	(घ) रेडियो, घड़ी विक्रेता/मरम्मतकर्ता	₹ 200.00
8.	कम्प्यूटर–	
	(क) कम्प्यूटर सेंटर	₹ 500.00
	(ख) कम्प्यूटर मरम्मतकर्ता	₹ 300.00
9.	हार्डवेयर–	
	(क) सीमेंट, सरिया विक्रेता	₹ 400.00
	(ख) सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, पेन्ट विक्रेता	₹ 500.00
10.	ग्रील एवं बक्सा निर्माता/विक्रेता	₹ 200.00
11.	फर्नीचर–	
	(क) फर्नीचर हाउस	₹ 400.00
	(ख) शोरूम फर्नीचर हाउस	₹ 500.00
12.	भाजी विक्रेता	₹ 200.00
13.	सब्जी–	
	(क) सब्जी विक्रेता	₹ 200.00
	(ख) सब्जी–फल विक्रेता	₹ 300.00

1	2	3
14.	स्वर्णकार–	
	(क) मालिक बिना कारीगर	₹ 300.00
	(ख) मालिक एवं 03 कारीगर सहित	₹ 500.00
	(ग) मालिक एवं 05 कारीगर सहित	₹ 1,000.00
15.	टेलर्स–	
	(क) स्वयं टेलर्स	₹ 100.00
	(ख) स्वयं के साथ 03 कर्मी सहित	₹ 200.00
	(ग) स्वयं के साथ 05 कर्मी सहित	₹ 400.00
16.	बारबर–	
	(क) स्वयं बारबर	₹ 100.00
	(ख) स्वयं एवं 02 कर्मी सहित	₹ 200.00
	(ग) स्वयं एवं 03 कर्मी सहित	₹ 300.00
17.	पुस्तक विक्रेता	₹ 200.00
18.	पुस्तक विक्रेता एवं फोटो स्टेट	₹ 300.00
19.	मेडिकल स्टोर में क्लीनिक	₹ 300.00
20.	सुअर मीट विक्रेता	₹ 1,000.00
21.	बकरा एवं मुर्गा मीट विक्रेता	₹ 5,000.00
22.	स्कूटर गैराज व मरम्मतकर्ता	₹ 200.00
23.	मोटर गैराज मरम्मतकर्ता	₹ 500.00
24.	मोटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 2,000.00
25.	स्कूटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 1,000.00
26.	कुकिंग एजेन्सी	₹ 1,000.00
27.	पेट्रोल पम्प एजेन्सी	₹ 2,000.00
28.	बैंक व्यवसाय लाइसेन्स	₹ 2,000.00
29.	अंग्रेजी शराब की दुकान	₹ 10,000.00
30.	कबाड़ एकत्रित करने वाले एवं भण्डारण	₹ 100.00
31.	अन्य व्यवसाय	₹ 400.00
32.	जूस विक्रेता	₹ 200.00
33.	मोबाइल टॉवर	₹ 3,000.00
34.	केबिल नेटवर्क सेन्टर	₹ 2,000.00
35.	ट्यूशन/प्रशिक्षण सेन्टर	₹ 500.00
36.	पान, बीड़ी आदि विक्रेता	₹ 100.00
37.	छोटे दुकान (परचून)	₹ 200.00
38.	आटा चक्की	₹ 200.00
39.	फोटोग्राफर	₹ 200.00
40.	ब्यूटी पार्लर/श्रृंगार सामान सहित	₹ 200.00
41.	ऊन/होजरी विक्रेता	₹ 200.00
42.	टायर पंचर	₹ 100.00
43.	टेन्ट हाउस	₹ 500.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी के व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपनियम/उपविधि में से किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर, ऐसे उल्लंघनकर्ता को अंकन–₹ 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) तक का अर्थदण्ड लिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए उल्लंघन जारी होने पर अंकन–₹ 100 (एक सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है।

ए0 एन0 खाती,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत नौगाँव–उत्तरकाशी।

शशिमोहन राणा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नौगाँव–उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 हिन्दी गजट/537–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।